संख्या 250 /लो0नि-1/03-23(प्रा0आ0)/2003

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता,स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 16 दिसम्बर, 2003

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत महत्वपूर्ण मार्गों के पुर्ननिर्माण एवं सुधार कार्य की वित्तीय वर्ष 2003-2004 में स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके पत्र संख्या- 1111/2-याता-उत्तरांचल/2003 दिनांक 25-3-2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये निम्नलिखित कार्यों के पुर्ननिर्माण/सुधार कार्यों के शासन को उपलब्ध कराये गये रू0 767.80 लाख के आगणनों के टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त उनके सम्मुख अंकित औचित्यपूर्ण पाई गई कुल रू0 756.39 लाख की धनराशि के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये दोनों कार्यों हेतु निम्नलिखित तालिका के कालम-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख मात्र) के व्यय की भी स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रमसं0	कार्य का नाम	आगणन की लागत	अनुमोदित लागत	वर्तमानवित्तीय वर्ष में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5
1.	जनपद टिहरी गढ़वाल में रायपुर-कुमाल्डा-कददूखाल मोटर मार्ग का डामरीकरण किमी0-18 से 49 तक	430.00	423.65	15.00
2.	टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक में अगलाड-थत्यूड़ मोटर मार्ग का डामरीकरण किमी0- 17 से 44 तक	337.80	332.74	10.00
	योग:-	767.80	756.39	25.00

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विकास विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृत हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

2. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

3. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुये लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

4. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलिभाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा अवश्य करा लें । निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकता एवं प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जाय ।

5. आगणन में जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उन्हीं मदों पर किया जाय । एक मद की राशि दूसरे मदों पर कदापित व्यय न की जायें।

6. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय, कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा ।

7. कार्य करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, टैण्डर विषयक नियम एवं अन्य तदविषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा ।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिये जाने के उपरान्त ही आगामी किश्त स्वीकृत की जायेगी ।

9. प्रश्नगत निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-आयोजनागत-800- अन्य व्यय-03-राज्य सैक्टर-02-नया निर्माण कार्य-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा ।

10. यह आदेश वित्त अनुभाग-3 उत्तरांचल शासन के अ0शा0 संख्या-2111/ वित्त अनुभाग-3/2003 दिनाँक 11 दिसम्बर 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
उप सचिव ।

क्रमशः....3

संख्या 75 (1)/लो0नि-1/03, तद्‌दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/देहरादून ।
2. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी ।
3. मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 लोक निर्माण विभाग, पौडी ।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी ।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तरांचल ।
6. श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, 27 वां वृत्त लोक निर्माण विभाग, टिहरी ।
8. वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन ।
9. लोक निर्माण अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन ।
10. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0के0 पन्त)
उप सचिव ।